भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय कंपनी विभाग
केंद्रीय कार्यालय
15, नेताजी सुभाष रोड
पोस्ट बॉक्स संख्या 571
कलकत्ता

अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी (ओ)-87 दिनांक 15 मई 1987

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जे और 45के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाले सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक हित में नीचे दिए गए निदेशों को देना आवश्यक समझने के बाद, निदेश जारी करता है जो यहां इसके बाद निर्दिष्ट हैं।

भाग I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और निदेशों का प्रारंभ

इन निदेशों को "अवशिष्ट गैर-बैंकिंग (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987" के रूप में जाना जाएगा। ये 15 मई 1987 से प्रभावी होंगे और इन निदेशों के किसी भी संदर्भ के प्रारंभ होने की तिथि को उस तिथि का संदर्भ माना जाएगा।

भाग II - निदेशों की सीमा

2. ये निदेश प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अर्थात एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है और जो किसी भी नाम से किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत योगदान या अंशदान या इकाइयों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री से, या किसी अन्य तरीके से एकमुश्त या किश्तों में जमा प्राप्त करती है और और जो, [गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमा राशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) दिशा-निदेश, 1998][1] या विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 जैसा भी मामला हो में निहित परिभाषाओं के अनुसार नहीं हैः-

i) एक उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनी

ii) एक किराया खरीद वित्त कंपनी

iii) एक आवास वित्त कंपनी

iv) एक बीमा कंपनी

v) एक निवेश कंपनी

vi) एक ऋण कंपनी

[1] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

vii) एक पारस्परिक लाभ वित्तीय कंपनी

viii) एक विविध गैर-बैंकिंग कंपनी और

[(ix) एक पारस्परिक लाभ कंपनी][2]

3. परिभाषा

इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

ए) "जमा" का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45आई(बीबी) में दिया गया है;

बी) "जमाकर्ता" का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जिसने कंपनी के पास जमा किया है;

सी) शब्द या अभिव्यक्तियां जिनका उपयोग किया गया है लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है। यहां या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित नहीं किए गए लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित अन्य शब्दों या अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम में 1956 (1956 का 1) उन्हें सौंपा गया है।

4. **अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जमाराशियां स्वीकार करना**

12 अप्रैल, 1993 [3] को और उसके बाद से, कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी मांग पर या नोटिस पर या इस तरह की जमा राशि स्वीकार करने की तारीख से 12 महीने से कम या 84[4] महीने से अधिक की अवधि के बाद चुकाने योग्य कोई जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी या उस तारीख से पहले या बाद में उसके द्वारा स्वीकार की गई किसी भी जमाराशि को नवीनीकृत नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह की जमा राशि, नवीनीकरण पर, 12 महीने से पहले और इस तरह के नवीनीकरण की तारीख से 84 [4] महीने के बाद नहीं चुकाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण

जहां जमा राशि किस्तों में प्राप्त की जाती है, जमा की अवधि की गणना पहली किस्त की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी।

[5][4ए. कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा संचालित किसी भी योजना के किसी भी जमाकर्ता/सब्सक्राइबर से उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, प्रसंस्करण या रखरखाव शुल्क या ऐसे किसी भी नाम से कोई भी शुल्क नहीं लेगी।]

[6][बशर्ते कि कोई कंपनी किसी नए जमाकर्ता/सब्सक्राइबर से ब्रोशर जारी करने, आवेदन पत्र और जमाकर्ता के खाते जहां ऐसी जमा की कुल वार्षिक सदस्यता रुपए 500/-से कम नहीं है की सर्विसिंग के

---

[2] अधिसूचना संख्या 149 दिनांक 27 जून 2001 द्वारा जोड़ा गया
[3] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी)-68/ईडी(एस)-93 दिनांक 10 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित
[4] अधिसूचना संख्या डीएफसी (सीओसी)-68/ईडी(एस)-93 दिनांक 10 अप्रैल, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित
[5] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी)-69/ईडी(एस)-93 दिनांक 19 अप्रैल, 1993 द्वारा जोड़ा गया
[6] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी)-82/ईडी(जेआरपी)-96 दिनांक 22 मार्च, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित

खर्च की लागत के लिए एकबारगी (अप्रतिदेय) राशि जो रुपए 80/- (केवल अस्सी रुपये) से अधिक न हो, प्रभारित कर सकती है। जहां प्राप्त की गई जमा राशि 500/- रुपये से कम है वहां रुपए 80/- की उक्त एकमुश्त अप्रतिदेय राशि में यथानुपात कटौती की जाएगी। [7] {दैनिक जमा योजना के तहत प्राप्त जमा पर ऐसी कोई राशि वसूल नहीं की जाएगी।}]

[8]शाखाएं और जमा संग्रहण के लिए एजेंटों की नियुक्ति

4बी. 13 जनवरी 2000 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी शाखा/कार्यालय नहीं खोलेगी या जमा संग्रहण के लिए एजेंटों की नियुक्ति नहीं करेगी, सिवाय नीचे दिए गए प्रावधानों केः-

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है यदि

(ए)	एन.ओ.एफ 50 करोड़ रुपए तक है	राज्य के भीतर जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है; और यदि
(बी)	एन.ओ.एफ 50 करोड़ रुपए से अधिक है	भारत में कहीं भी

(ii) (ए) एक शाखा / कार्यालय खोलने के उद्देश्य से, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने के अपने इरादे के बारे में रिज़र्व बैंक को सूचित करेगी।

(बी) इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर, रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में या संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के हित में या किसी अन्य प्रासंगिक कारण जिसे दर्ज किया जाएगा , प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है और उसे सूचित कर सकता है और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को इसकी सूचना दे सकता है।

(सी) यदि उपरोक्त (बी) के तहत प्रस्ताव की अस्वीकृति की कोई सूचना रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नहीं दी जाती है, तो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकती है।

शाखाओं का बंद होना

4सी. कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी शाखा/कार्यालय को राष्ट्रीय स्तर के किसी एक समाचार पत्र और प्रासंगिक स्थान पर संचलन में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रस्तावित बंद होने के नब्बे दिनों से पहले इस तरह की इच्छा प्रकाशित किए बिना और प्रस्तावित बंद होने से कम से कम नब्बे दिन पहले रिज़र्व बैंक को सूचित किए बिना अपनी शाखा / कार्यालय बंद नहीं करेगी।

---

[7] अधिसूचना सं. 113/ईडी(जी)-97 दिनांक 11 नवंबर 1997 द्वारा जोड़ा गया

[8] अधिसूचना सं. डीएनबीएस 136/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 13 जनवरी 2000 द्वारा जोड़ा गया

[9][**विवेकपूर्ण मानदंडों का अनिवार्य अनुपालन**

4 डी. एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 की अधिसूचना संख्या डीएफसी 119 /डीजी (एसपीटी)-98 दिनांक 31 जनवरी, 1998 में निहित सभी आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना जमा स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी।]

5. प्रतिलाभ का न्यूनतम दर

[10] [11 नवंबर 1997 को और उसके बाद से, उस तिथि से प्राप्त जमाराशियों के संबंध में एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए, गणना की गई राशि से कम नहीं होगीः-

(i) एकमुश्त या मासिक या लंबे अंतराल पर जमा की गई राशि पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए);

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के तहत जमा राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा)।

बशर्ते कि जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके लिए जमा स्वीकार किया गया था, जमा राशि की चुकौती करती है तो ऐसी जमा पर कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि को उस दर से एक प्रतिशत अंक कम किया जाएगा, जिसे कंपनी आमतौर पर ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के रूप में भुगतान करती, यदि स्वीकार की गई जमाराशि नियत अवधि के लिए जारी रहती।

[11][1 जुलाई 2000 को और उसके बाद, उस तिथि से प्राप्त जमाराशियों के संबंध में किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाए, गणना की गई राशि से कम नहीं होगी –

(i) एकमुश्त या मासिक या लंबे अंतराल पर जमा की गई राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए); और

(ii) दैनिक जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा की गई राशि पर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए) :

बशर्ते कि जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके लिए जमा स्वीकार किया गया था, जमा राशि की चुकौती करती है तो ऐसी जमा पर कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि को उस दर से एक प्रतिशत अंक कम किया जाएगा, जिसे कंपनी आमतौर पर ब्याज, बोनस,

---

[9] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 143/सीजीएम (वीएसएनएम)-2000 दिनांक 30 जून 2000 द्वारा जोड़ा गया

[10] अधिसूचना संख्या 113 दिनांक 11 नवंबर, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित

[11] अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 30 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

प्रीमियम या अन्य लाभ के रूप में भुगतान करती, यदि स्वीकार की गई जमाराशि नियत अवधि के लिए जारी रहती।

[12][1 अप्रैल 2003 को और उसके बाद से, उस तिथि से प्राप्त जमाराशियों के संबंध में किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि, चाहे जिस भी नाम से हो, गणना की गई राशि की से कम नहीं होगीः-

(i) एकमुश्त या मासिक या लंबे अंतराल पर जमा की गई राशि पर पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए); और
(ii) दैनिक जमा योजनाओं के तहत जमा की गई राशि पर साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से (वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा):

बशर्ते कि जहां जमाकर्ता के अनुरोध पर, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद लेकिन उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके लिए जमा स्वीकार किया गया था, जमा राशि की चुकौती करती है तो ऐसी जमा पर कंपनी द्वारा ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि को उस दर से एक प्रतिशत अंक कम किया जाएगा, जिसे कंपनी आमतौर पर ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के रूप में भुगतान करती, यदि स्वीकार की गई जमाराशि नियत अवधि के लिए जारी रहती।

<u>जमाराशियों की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रावधान</u>

<u>जमाकर्ताओं को जमाराशियों की परिपक्वता की सूचना</u>

[13] [**5ए**. जमा की परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को जमा की परिपक्वता के विवरण को सूचित करना, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी का दायित्व होगा।

<u>"न्यूनतम लॉक-इन अवधि और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में चुकौती</u>

5बी. 5 अक्टूबर 2004 को और उसके बाद से,

(i) कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमा की स्वीकृति की तारीख से बारह महीने (लॉक-इन अवधि) की अवधि के भीतर जमा की समयपूर्व चुकौती नहीं करेगी:

बशर्ते कि किसी जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी लॉक-इन अवधि के दौरान भी उत्तरजीवी खंड के साथ संयुक्त धारिता के मामले में जीवित जमाकर्ता/ओं को या जीवित जमाकर्ता/नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी के अनुरोध पर मृत जमाकर्ता के नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी/यों को मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और कंपनी के इससे संतुष्ट होने पर जमाराशि को परिपक्वता अवधि से पूर्व भुगतान करेगी।

---

[12] अधिसूचना संख्या 169 दिनांक 31 मार्च, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित

[13] अधिसूचना संख्या 180 दिनांक 5 अक्टूबर 2004 द्वारा जोड़ा गया

<u>एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जो समस्याग्रस्त गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है द्वारा जमाराशियों की चुकौती,</u>

(iii) उप-पैरा (i) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो एक समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नहीं है, 5 अक्टूबर 2004 से, अपने विवेक पर जमा राशि के समयपूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति दे सकती है।

बशर्ते कि पूर्वोक्त तिथि से पहले स्वीकार की गई जमा राशि के मामले में, ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, यदि इस तरह की जमा राशि की स्वीकृति के नियमों और शर्तों द्वारा अनुमति दी जाती है, तो जमाकर्ता के अनुरोध पर, जमा की तारीख से बारह महीने की समाप्ति के बाद इसे समय से पहले चुका सकती है।

<u>समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमाराशियों की चुकौती</u>

(iv) उप-पैरा (i) में निहित प्रावधानों के अधीन, एक जमाकर्ता को आकस्मिक प्रकृति के खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, एक समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जमा राशि का समयपूर्व पूर्व भुगतान निम्नानुसार कर सकती है:

एक छोटी जमा राशि को पूरी तरह से चुका दे या किसी अन्य जमा राशि जो रुपये 10,000/- की राशि से अधिक नहीं है को चुका दे।

<u>एक ही क्षमता में एकमात्र/पहले नामित जमाकर्ता के नाम पर जमाराशियों की क्लबिंग</u>

(v) एकमात्र/प्रथम नाम वाले जमाकर्ता के नाम पर समान क्षमता वाले सभी जमा खातों को क्लब किया जाएगा और समय से पहले चुकौती के उद्देश्य से एक जमा खाते के रूप में माना जाएगा।

जमाराशियों की समयपूर्व चुकौती पर ब्याज दर

(vi) जहां एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, चाहे अपने विवेकाधिकार पर या जमाकर्ता के अनुरोध पर, जैसा भी मामला हो, जमा स्वीकृति की तारीख से बारह महीनों के बाद, लेकिन इसकी परिपक्वता से पहले (जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में समय से पहले चुकौती सहित) जमा राशि की चुकौती करती है तो वह निम्नलिखित दरों पर ब्याज का भुगतान करेगीः-

12 महीने की समाप्ति के बाद लेकिन परिपक्वता की तारीख से पहले	देय ब्याज उस अवधि जिसके लिए जमा किया गया है के लिए जमा पर लागू ब्याज दर से 2 प्रतिशत कम होगा, या यदि उस अवधि के लिए कोई दर निर्दिष्ट नहीं की गई है, तो उस न्यूनतम दर से 3 प्रतिशत कम होगी जिस पर अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जमा स्वीकार किया गया है।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के प्रयोजन के लिए,

(ए) 'समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी' का अर्थ ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी से है जो -

(i) 5 कार्य दिवस के भीतर किसी परिपक्व जमाराशियों की चुकौती की वैध मांग को पूरा करने से इंकार करता है या विफल रहता है; या

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58एए के तहत सीएलबी को किसी छोटे जमाकर्ता को किसी भी जमा या उसके हिस्से या उसके किसी ब्याज चुकौती में चूक के बारे में सूचित करता है ; या

(iii) अपने जमा दायित्वों को पूरा करने के लिए चल आस्ति प्रतिभूतियों की निकासी के लिए बैंक से संपर्क करता है; या

(iv) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 के प्रावधानों से या जमा या अन्य दायित्वों को पूरा करने में चूक से बचने के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों से किसी भी राहत या छूट के लिए बैंक से संपर्क करता है; या

(v) बैंक द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या जमाकर्ताओं की ओर से जमाराशियों की चुकौती न करने की शिकायतों के आधार पर या बकाया राशि का भुगतान न करने के बारे में कंपनी के उधारदाताओं की शिकायतों के आधार पर एक समस्याग्रस्त अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के रूप में पहचान की गई है।

(बी) 'छोटी जमा राशि' का अर्थ गैर-बैंकिंग कंपनी की सभी शाखाओं में एक ही क्षमता में एकमात्र या पहले नामित जमाकर्ता के नाम पर जमा की गई रुपए 10,000/- तक की राशि है।

.[14]**[एनआरआई से जमा राशि पर प्रतिलाभ की न्यूनतम दर]**

.[15]**[5सी.]** 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा.5/2000-आरबी के अनुसार 19 सितंबर 2003 को और उसके बाद से कोई भी गैर-बैंकिंग कंपनी अनिवासी भारतीयों से अनिवासी (विदेशी) खाता योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ऐसी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट दर से अधिक दर पर प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों को आमंत्रित या स्वीकार या नवीनीकृत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण - उपरोक्त जमा की अवधि एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी

.[16]**[6. जमाकर्ताओं के लिए प्रतिभूति**

1 मई, 1997 को और उसके बाद से –

[14] अधिसूचना संख्या 176 दिनांक 19 सितंबर, 2003 द्वारा जोड़ा गया

[15] अधिसूचना संख्या 180 दिनांक 5 अक्टूबर, 2004 द्वारा पुन: क्रमांकित

[16] अधिसूचना सं 106 दिनांक 30 अप्रैल 1997 द्वारा प्रतिस्थापित

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नीचे दिए गए तरीके से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईबी के तहत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित एक निश्चित राशि का निवेश करेगी और निवेश करना जारी रखेगी, जो 30 जून, 1997 को समाप्त तिमाही के किसी भी दिन और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं के लिए देनदारियों की कुल राशि से , दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के निवेशों में जो भार-रहित हैं और वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर मूल्यांकित नहीं में बकाया (चाहे ऐसी राशियां भुगतान योग्य हों या न हों) से निम्नलिखित तरीके से कम नहीं होगीः-

(ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या आंशिक रूप से इनमें से किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र में जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से कम नहीं;

(बी) किसी सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या किसी राज्य या केंद्रीय अधिनियमों द्वारा स्थापित या गठित किसी भी निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनी के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र या किसी भी अनुमोदित प्रतिभूतियों में या ऊपर (ए) के तरीके में जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का 60 प्रतिशत से कम नहीं, बशर्ते कि

[17][(i) जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि का दो प्रतिशत से अधिक म्यूचुअल फंड की किसी भी योजना जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा शासित है में निवेश नहीं किया जाएगा और इस तरह के निवेश का योग जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:]

[18][हटाए गए प्रावधान]

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित कंपनियों जो सहायक कंपनी, होल्डिंग कंपनी या ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के समान समूह की कंपनी नहीं है या सरकारी कंपनी या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के डिबेंचर, बॉन्ड या वाणिज्यिक पत्रों में देनदारियों की कुल राशि का 10 प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे बांड या डिबेंचर को अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक द्वारा AA+ या इसके समकक्ष से कम रेट नहीं किया गया हो और वाणिज्यिक पत्रों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना आईईसीडी संख्या 1/87 (सीपी) - 89/90 दिनांक 11 दिसंबर 1989 के अनुसार रेट किया गया हो।

(सी) जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि के 20 प्रतिशत या इससे कम या कंपनी के निवल स्वाधिकृत निधि का दस गुना, जो भी कम हो, किसी भी तरीके जो कंपनी की राय में सुरक्षित है कंपनी के निदेशक बोर्ड की स्वीकृति से निवेश किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसी कंपनी का निवल स्वाधिकृत निधि सकारात्मक है। हालांकि, जहां ऐसी कंपनी का निवल स्वाधिकृत निधि शून्य या नकारात्मक है, ऐसी कंपनी उपरोक्त (ए) या (बी) के अनुसार ही ऐसी राशि का निवेश करेगी]

---

[17] अधिसूचना सं. 143 दिनांक 30 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

[18] अधिसूचना सं 168 दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा हटाया गया

[19][1 जुलाई 2004 को और उसके बाद

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी नीचे दिए गए तरीके से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईबी के तहत आस्तियों में निवेश की गई राशि सहित एक निश्चित राशि का निवेश करेगी और निवेश करना जारी रखेगी, जो 30 सितम्बर, 2004 को समाप्त तिमाही के किसी भी दिन और उसके बाद प्रत्येक तिमाही के किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि से , दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर प्रतिभूतियों में या अन्य प्रकार के निवेशों में जो भार-रहित हैं और वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर मूल्यांकित नहीं हैं में बकाया (चाहे ऐसी राशियां भुगतान योग्य हों या न हों) से कम नहीं होगीः-

(ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा/जमा प्रमाणपत्रों में या निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों के जमा प्रमाणपत्रों में जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि के 10 प्रतिशत से कम नहीं; , बशर्ते प्रमाण पत्रों को किसी अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA+ या इसके समकक्ष से कम रेटिंग प्रदान न की गई हो या आंशिक रूप से इन सावधि जमाओं/जमा प्रमाणपत्रों में से किसी में जो इस तरह रेट किया गया हो;

(बी) किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपने बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान जारी की गई प्रतिभूतियों में या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के तहत निगमित किसी अन्य कंपनी के बॉन्ड या डिबेंचर (एक अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा AA + या समकक्ष से कम रेट न किया गया हो और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो) में या खंड (ए) के तरीके से या म्युचुअल फंड की ऋण उन्मुख योजनाओं में जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि का 70 प्रतिशत से कम नहीं

(i) बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान जारी किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी भी प्रतिभूतियों में जमाकर्ताओं के प्रति देनदारियों की कुल राशि का 15 प्रतिशत से कम निवेश नहीं किया जाएगा;

(ii) किसी एक ऋण उन्मुख म्युचुअल फंड जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा शासित है में जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का दो प्रतिशत से अधिक का निवेश नहीं किया जाएगा और ऐसा निवेश का कुल जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि 1 जुलाई 2004 को और उसके बाद से, एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो उपरोक्त आवश्यकता का अनुपालन नहीं करती है, तब तक अन्य प्रतिभूतियों में कोई निवेश नहीं करेगी जब तक कि निवेश की इस श्रेणी में कमी को पूरा नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि किसी बॉन्ड या डिबेंचर के निर्धारित ग्रेड के नीचे क्रेडिट रेटिंग के डाउनग्रेड होने की स्थिति में, बॉन्ड या डिबेंचर उपरोक्त आवश्यकता के अनुपालन के लिए अपात्र हो जाएंगे और इस तरह के डाउनग्रेडिंग से उत्पन्न उपरोक्त पैरा के अनुपालन में कमी, यदि कोई हो खंड (सी) या (डी) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियों में कोई और निवेश करने से पहले रेटिंग को अच्छा बनाया जाएगा।

---

[19] अधिसूचना संख्या 178 दिनांक 22 जून 2004 द्वारा

बशर्ते कि एक ही समूह की होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी/ कंपनी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड ऐसे निवेश के लिए योग्य नहीं होगी।

(सी) 31 मार्च, 2005 से पहले की अवधि के लिए, जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का 20 प्रतिशत या कंपनी के निवल स्वाधिकृत निधि का दस गुना, जो भी कम हो, निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार किसी भी तरीके जो कंपनी की राय में सुरक्षित है से निवेश किया जा सकता है ;

(डी) 1 अप्रैल, 2005 को और उसके बाद से जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का दस प्रतिशत या कंपनी के निवल स्वाधिकृत निधि का एकमुश्त, जो भी कम हो, कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार किसी भी तरीके से निवेश किया जा सकता है, जो कंपनी की राय में सुरक्षित है ;

(ई) 1 अप्रैल, 2006 को और उसके बाद से जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि का निवेश केवल उप-पैरा (ए) या उप-पैरा (ख) के अनुसार किया जाएगा।]

[20][(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी

(i) एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के साथ एक घटक सहायक सामान्य खाता (सीएसजीएल) खाता खोलें या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत एक डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से एक डिपॉजिटरी के साथ एक डिमटेरियलाइज्ड खाता खोलें और ऐसे सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईबी और अधिसूचना सं. डीएफसी.120/ईडी(जी)-98 दिनांक 31 जनवरी 1998, के अनुसार आवश्यक भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां बनाए रखें ;
(ii) उपरोक्त उप-पैरा (1) के खंड (बी) में संदर्भित अन्य प्रतिभूतियों को ऐसे सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में रखें यदि वे डीमैटेरियलाइज्ड हैं; और
(iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जिस स्थान पर स्थित है, वहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक को इसके नामित बैंकर के रूप में नामित करें और भौतिक रूप में ऐसे बैंक या एसएचसीआईएल को उपरोक्त पैरा (1) के खंड (ए) और (बी) में संदर्भित सभी भार-रहित जमा रसीदें और प्रतिभूतियां और ऐसी भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियां जिन्हें डीमैटरियलाइज़ नहीं किया गया है, सौंपें।

और भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है को लिखित रूप में, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का नाम और स्थान सूचित करें जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है या प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में रखा है, या एसएचसीआईएल का स्थान जहां उसने अपना सीएसजीएल खाता खोला है या भौतिक रूप से प्रतिभूतियां रखी हैं या निक्षेपागार (और निक्षेपागार सहभागी) जहां इसने अपना डीमैट खाता रखा है, जैसा कि यहां अनुसूची बी में निर्दिष्ट है:

बशर्ते कि जहां एक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी उपरोक्त खंड (iii) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को नामित बैंकर या एसएचसीआईएल के पास उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सौंपना चाहती है, जहां उसका

[20] अधिसूचना संख्या 161 दिनांक 1 अक्टूबर 2002 द्वारा प्रतिस्थापित

पंजीकृत कार्यालय स्थित है, तो वह भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, के पूर्व अनुमोदन के साथ ऐसा कर सकती है जैसा कि यहां अनुसूची बी में निर्दिष्ट है;]

[21] [बशर्ते कि उक्त सीएसजीएल खाते या डीमैट खाते में धारित सरकारी प्रतिभूतियों का इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुपालन और सीमाओं के अलावा व्यापार नहीं किया जाएगा, चाहे वह तैयार वायदा संविदाओं जिसमें रिवर्स तैयार वायदा संविदाएं भी शामिल हैं में प्रवेश करके हो या अन्यथा से हो]

[22][(3) उपरोक्त उप-पैरा (1) में उल्लिखित प्रतिभूतियां जमाकर्ताओं के लाभ के लिए ऊपर उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अनुसार रखी जाएंगी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान को छोड़कर अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा उन्हें आहरित नहीं किया जाएगा या भुनाया नहीं जाएगा या अन्यथा उनका व्यापार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते की,

(i) कोई अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपनी जनता की जमाराशियों में कमी के अनुपात में ऐसी प्रतिभूतियों के एक हिस्से को आहरित कर सकती है जिसे इसके लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो;

(ii) जहां अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी भौतिक रूप में रखी गई ऐसी प्रतिभूतियों को प्रतिस्थापित करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसे आहरण से पहले नामित बैंक या एसएचसीआईएल को समान मूल्य की प्रतिभूतियां सौंप कर ऐसा कर सकती है; और

[23][]]

[24] [(3ए) जहां अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 45-आईबी और अधिसूचना संख्या डीएफसी 120/ईडी(जी)-98 दिनांक 31 जनवरी 1998 के तहत आवश्यकता से अधिक धारित सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाओं में प्रवेश करके या अन्यथा के द्वारा व्यापार करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के एक अलग सीएसजीएल या डीमैट खाता खोलकर ऐसा कर सकती है।]

[25][[26][(4)] प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद कारोबार की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि जमा की गई राशि और किए गए निवेश कंपनी द्वारा दूसरी पिछली तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर कारोबार की समाप्ति पर बकाया जमाकर्ताओं की देनदारियों की कुल राशि से कम नहीं है।]

---

[21] अधिसूचना संख्या 171 दिनांक 31 जुलाई 2003 द्वारा जोड़ा गया
[22] अधिसूचना संख्या 161 दिनांक 1 अक्टूबर 2002 द्वारा जोड़ा गया
[23] अधिसूचना संख्या 171 दिनांक 31 जुलाई, 2003 द्वारा हटाया गया
[24] अधिसूचना संख्या 171 दिनांक 31 जुलाई 2003 द्वारा जोड़ा गया
[25] अधिसूचना संख्या 106 दिनांक 30 अप्रैल 1997 द्वारा प्रतिस्थापित
[26] अधिसूचना संख्या 161 दिनांक 1 अक्टूबर, 2002 के तहत पुनर्संख्यांकित

.[27][स्पष्टीकरण)

(i) 'निवल स्वाधिकृत निधि' का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत परिभाषित निवल स्वाधिकृत निधि है, जिसमें प्रदत्त वरीयता शेयर शामिल हैं जो इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय हैं;

(ii) " कुल देयता राशि" का अर्थ संविदा की शर्तों के अनुसार जमा राशि पर अर्जित ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के साथ-साथ प्राप्त जमा की कुल राशि होगी।

(iii) "तिमाही" का अर्थ मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर के अंतिम दिन समाप्त होने वाली तीन महीने की अवधि है।

(iv) "अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों" का अर्थ है
(ए) क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल)।
(बी) इंवेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईसीआरए)
(सी) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (केयर)
(डी) फिच रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फिच इंडिया)"

(v) 'अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक' का अर्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक है।

(vi) 'सरकारी कंपनी' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के तहत परिभाषित कंपनी से है।

(vii) 'निर्दिष्ट वित्तीय संस्थान' का अर्थ है इस अधिसूचना की अनुसूची "डी" में सूचीबद्ध संस्थान।

(viii) शब्द 'होल्डिंग कंपनी', 'सहायक कंपनी', 'एक ही समूह में कंपनी' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 में उन्हें सौंपा गया है।]

7. जब्ती का उन्मूलन

15 मई 1987 को और उसके बाद से, कोई भी गैर-बैंकिंग कंपनी जमाकर्ता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि, या किसी भी ब्याज, प्रीमियम बोनस या उस पर अर्जित अन्य लाभ को जब्त नहीं करेगी।

8. जमाराशियां आमंत्रित करने वाले आवेदन फॉर्म में निर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण

15 मई 1987 को और उसके बाद से, कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले फॉर्म जिसमें कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58ए के तहत बनाई गई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (विज्ञापन नियम) 1977 में निर्दिष्ट सभी विवरण शामिल होंगे, में जमाकर्ता से लिखित आवेदन को छोड़कर किसी भी जमा को स्वीकार, नवीनीकृत या परिवर्तित नहीं करेगी। इस तरह के आवेदन पत्र में विवरणी के बारे में भी पूरी जानकारी होगी, जो जमाकर्ता उसके द्वारा जमा की गई राशि पर पाने का हकदार है।

[27] अधिसूचना सं. 178 दिनांक 22 जून 2004 द्वारा प्रतिस्थापित

9. जमाकर्ताओं को रसीदें देना

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रत्येक जमाकर्ता या उसके एजेंट को, जब तक कि उसने पहले से ऐसा नहीं किया है, प्रत्येक राशि जो कंपनी द्वारा इन निदेशों के शुरू होने से पहले या बाद में जमा के माध्यम से प्राप्त की गई है या प्राप्त की जाएगी के लिए एक रसीद प्रदान करेगी ।

(2) उक्त रसीद पर कंपनी की ओर से कार्य करने के हकदार अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे और जमा की तारीख, जमाकर्ता का नाम, कंपनी द्वारा जमा के रूप में प्राप्त राशि का शब्दों और अंकों में ,ब्याज दर, प्रीमियम, बोनस या उस पर देय अन्य लाभ और वह तारीख जिस पर जमा राशि चुकाने योग्य है उल्लेख होगा।

10. जमाराशियों का रजिस्टर

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी एक या एक से अधिक रजिस्टर रखेगी जिसमें प्रत्येक जमाकर्ता के मामले में निम्नलिखित विवरण अलग से दर्ज किए जाएंगे -
(**ए**) जमाकर्ता का नाम और पता,
(**बी**) प्रत्येक जमा की तारीख और राशि,
(सी) अवधि और प्रत्येक जमा की देय तिथि,
(**डी**) अर्जित ब्याज, बोनस या प्रीमियम की तिथि और राशि या
प्रत्येक जमा पर अन्य लाभ,
(**ई**) प्रत्येक चुकौती की तिथि और राशि,
(**एफ**) जमा से संबंधित कोई अन्य विवरण।

पूर्वोक्त रजिस्टर या रजिस्टर्स कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे जाएंगे और वित्तीय वर्ष जिसमें किसी जमा जिसका विवरण रजिस्टर में निहित है की चुकौती या नवीकरण की नवीनतम प्रविष्टि की गई है के बाद कम से कम आठ कैलेंडर वर्षों की अवधि के लिए अच्छी स्थिति में संरक्षित किए जाएंगे ।

(2) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी इन निदेशों के प्रारंभ होने के बाद प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों या यूनिटों या प्रमाणपत्रों या अन्य लिखतों की बिक्री के संबंध में अलग-अलग खाता - बहियां और रजिस्टर बनाए रखेगी:

बशर्ते कि यदि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खाता -बहियों को अपने पंजीकृत कार्यालय के अलावा किसी भी स्थान पर उस उप-धारा के परंतुक के अनुसार रखती है- यह इस पैरा का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि पूर्वोक्त रजिस्टर ऐसे अन्य स्थान पर रखा जाता है बशर्ते कि कंपनी रिज़र्व बैंक को उक्त उप-धारा के परंतुक के तहत रजिस्ट्रार के पास दायर नोटिस की एक प्रति इस तरह के दायर के सात दिनों के भीतर वितरित करती है।

11. बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी

(1) इन निदेशों के प्रारंभ होने की तिथि के बाद कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उप-धारा (1) के तहत आम बैठक में कंपनी के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की

प्रत्येक रिपोर्ट में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के मामले में सूचनाओं के निम्न विवरण को शामिल किया जाएगा, अर्थात् –

ए) इन निदेशों के प्रावधानों का अनुपालन;

बी) कंपनी के जमाकर्ताओं की कुल संख्या जिनकी जमा राशि का जमाकर्ता के साथ संविदा या इन निदेशों के प्रावधानों ,जो भी लागू हो, के अनुसार पुनर्भुगतान या नवीनीकरण जैसा भी ममाला हो के लिए देय होने के बाद जमाकर्ता द्वारा दावा नहीं किया गया है या कंपनी द्वरा भुगतान नहीं किया गया है ; और

सी) जमाकर्ताओं को देय कुल राशि और पूर्वोक्त खंड (बी) में निर्दिष्ट तिथि के बाद अदावाकृत या अदत्त शेष राशि।

(2) उक्त विवरण या जानकारी वित्तीय वर्ष जिससे रिपोर्ट संबंधित है की अंतिम तिथि की स्थिति के संदर्भ में प्रस्तुत की जाएगी, और यदि उप-पैरा (1) के खंड (बी) में निर्दिष्ट अदावाकृत या अदत्त शेष राशि कुल पांच लाख रुपये से अधिक है तो रिपोर्ट में जमाकर्ताओं को देय और अदावाकृत या अदत्त शेष राशि के पुनर्भुगतान के लिए निदेशक मंडल द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के बारे में एक विवरण भी शामिल किया जाएगा।

12. प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने खाता बहियों और तुलन-पत्र में जमाकर्ताओं को उपार्जित या देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के साथ प्राप्त जमाराशियों की कुल राशि को देनदारियों के रूप में प्रकट करेगी।

13.निदेशक की रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र और लेखा की प्रतियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाए

प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी,यदि उसने पहले से ही ऐसा नहीं किया है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार एक लेखापरीक्षित तुलन पत्र और उस वर्ष के संबंध में एक लेखापरीक्षित लाभ और हानि खाता, जैसा कि कंपनी द्वारा पारित किया गया है रिज़र्व बैंक को प्रेषित करेगी। इसके साथ ऐसी बैठक के 15 दिनों के भीतर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 (1) के अनुसार ऐसी बैठक में कंपनी के समक्ष रखी गई निदेशक मंडल की रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रेषित की जाएगी।

14. रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियाँ

(1) पैरा 13 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट तारीखों पर अपनी स्थिति के संदर्भ में अनुसूची ए में निर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करते हुए रिज़र्व बैंक को एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

(2) (i) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, इन निदेशों के प्रारंभ होने या व्यवसाय के प्रारंभ होने, जो भी बाद में हो की तिथि से 2 महीने के भीतर, रिज़र्व बैंक को एक लिखित विवरण देगी जिसमें शामिल होगा

(ए) इसके प्रमुख अधिकारियों के नाम, पदनाम और पेशेवर योग्यताएं;

(बी) कंपनी के निदेशकों के नाम, योग्यता और आवासीय पते;

(सी) कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट विवरणी;

(ii) इस उप-पैरा के खंड (i) में निर्दिष्ट सूची में किसी भी तरह के बदलाव की सूचना रिज़र्व बैंक को इस तरह के बदलाव के एक महीने के भीतर दी जाएगी।

15. तुलन-पत्र, विवरणी आदि, [पर्यवेक्षण] विभाग [28] को प्रस्तुत किया जाए

इन निदेशों के अनुसरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक कोई भी तुलन पत्र, विवरणी या जानकारी रिज़र्व बैंक के [पर्यवेक्षण] विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है,को प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि यहां अनुसूची बी में निर्दिष्ट किया गया है।

16. विज्ञापन और विज्ञापन के बदले विवरण

(1) प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (विज्ञापन) नियमावली, 1977 के प्रावधानों का पालन करेगी और उसके तहत जारी किए जाने वाले प्रत्येक विज्ञापन में निम्नलिखित का भी उल्लेख करेगी:

(ए) जमाकर्ता को ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में प्रतिलाभ का वास्तविक दर;

(बी) जमाकर्ताओं को भुगतान का माध्यम;

(सी) जमा की परिपक्वता अवधि;

(डी) एक निर्दिष्ट जमा पर देय ब्याज;

(ङ) यदि जमाकर्ता किसी आकर्षक उपहार/प्रोत्साहन जैसे दुर्घटना बीमा या समान अतिरिक्त लाभ, यदि कोई हो, के लिए पात्र हैं, तो ऐसे उपहार/प्रोत्साहन या अतिरिक्त लाभ की राशि जो कंपनी द्वारा दिया/भुगतान किया जाता है;

(च) ब्याज की वह दर जो जमाकर्ता द्वारा समय से पहले जमा राशि आहरित करने की स्थिति में जमाकर्ता को देय होगी, वे नियम और शर्तें जिनके अधीन जमा को पुनर्जीवित/नवीनीकृत किया जाएगा;

(जी) नियमों और शर्तों से संबंधित कोई अन्य विशेष विशेषताएं जिनके अधीन जमा स्वीकार/पुनर्जीवित/नवीकृत किए जाते हैं; और

[29][(एच) कि इसके द्वारा मांगी गई जमा राशियां बीमाकृत नहीं हैं।]

(2) जहां कोई कंपनी ऐसी जमाराशियों को आमन्त्रित किए बिना या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे आमंत्रण की अनुमति दिए बिना या प्रेरित किए बिना जमा स्वीकार करने का इरादा रखती है, तो वह जमा स्वीकार करने से पहले, रिज़र्व बैंक के [पर्यवेक्षण] विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र में इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को पंजीकरण के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 के अनुसार विज्ञापन में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक सभी विवरणों और यहां इसके

---

[28] अधिसूचना सं. डीएफसी (सीओसी)/88 ईडी(जेआरपी)/96 दिनांक 24 जुलाई, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित

[29] अधिसूचना संख्या डीएनबीएस 161/सीजीएम (सीएसएम)-2002 दिनांक 1 अक्टूबर 2002 द्वारा जोड़ा गया

ऊपर उप-पैरा (1) में बताए गए विवरण वाले विज्ञापन के बदले में एक विवरण प्रेषित करेगी जो पूर्वोक्त नियमों में प्रदान किए गए तरीके से विधिवत हस्ताक्षरित होगी।

(3) उप-पैरा (2) के तहत दिया गया विवरण वित्तीय वर्ष जिसमें इसे वितरित किया गया है के समाप्त होने की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक या तुलन पत्र को कंपनी के आम बैठक में रखे जाने की तारीख तक या जहां किसी वर्ष के लिए वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई है, वह नवीनतम दिन जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के प्रावधानों के अनुसार बैठक होनी चाहिए, जो भी पहले हो तक मान्य होगा और आने वाले वित्तीय वर्ष में जमा स्वीकार करने से पहले संबंधित वित्तीय वर्ष में एक नया विवरण दिया जाएगा।

17. प्रत्येक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी, जो इन निदेशों के प्रारंभ होने से पहले व्यवसाय नहीं कर रही है, कोई भी जमा प्राप्त करने से पहले रिज़र्व बैंक को अपने व्यवसाय से संबंधित सभी विवरण प्रस्तुत करेगी, जैसा कि अनुसूची सी में निर्दिष्ट है।

18. अस्थायी प्रावधान

इस संबंध में जारी या जारी किए जाने वाले किसी भी दिशा-निदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(1) पैरा 4 और 5 में निहित कुछ भी इन निदेशों के शुरू होने से पहले जारी या बेचे गए किसी भी प्रमाण पत्र, यूनिट या अन्य लिखतों के तहत या के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने वाली जमा राशि पर लागू नहीं होगा।

(2) जहां, इन निदेशों के शुरू होने से पहले, किसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी ने अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जारी किए गए किसी निदेश या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों या अन्यथा के अनुसार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ कोई व्यवस्था की है, इन निदेशों के पैरा 6 में निहित निदेशों में से कोई भी लागू नहीं होगा और इस प्रकार की गई व्यवस्था, प्रमाणपत्रों, यूनिटों या अन्य लिखतों के तहत प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली जमाराशियों के संबंध में उन्हीं शर्तों पर जारी रहेगी, जो निदेशों के शुरू होने से पहले जारी की गई या बेची गई हैं।

19. छूट

रिज़र्व बैंक, यदि यह किसी कठिनाई से बचने या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण सेआवश्यक समझता है, तो यह रिज़र्व बैंक द्वारा आरोपित किए जाने वाले शर्तो के अधीन सामान्यतया या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को इन निदेशों के सभी या किन्हीं प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए समय का विस्तार दे सकता है या अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है।

.[30][20. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमा राशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 का पैरा 12.

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जनता की जमा राशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के पैरा 12 में निहित निदेशों में से कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों पर लागू नहीं होगा।]

हस्ता/-
(पी.डी. ओझा)
उप गवर्नर.

[30] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

संशोधित अधिसूचनाओं की सूची

[1] अधिसूचना संख्या 68 दिनांक 10 अप्रैल 1993

[2] अधिसूचना संख्या 69 दिनांक 19 अप्रैल, 1993

[3] अधिसूचना संख्या 75 दिनांक 19 अप्रैल, 1994

[4] अधिसूचना संख्या 82 दिनांक 22 मार्च, 1996

[5] अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 7 जुलाई, 1996

[6] अधिसूचना संख्या 88 दिनांक 24 जुलाई, 1996

[7] अधिसूचना संख्या 95 दिनांक 1 जनवरी, 1997

[8] अधिसूचना संख्या 102 दिनांक 31 मार्च, 1997

[9] अधिसूचना संख्या 105 दिनांक 31 मार्च, 1997

[10] अधिसूचना संख्या 106 दिनांक 30 अप्रैल, 1997

[11] अधिसूचना संख्या 113 दिनांक 11 नवंबर, 1997

[12] अधिसूचना संख्या 136 दिनांक 13 जनवरी 2000

[13] अधिसूचना संख्या 143 दिनांक 30 जून 2000

[14] अधिसूचना संख्या 149 दिनांक 27 जून, 2001

[15] अधिसूचना संख्या 156 दिनांक 1 जनवरी, 2002

[16] अधिसूचना संख्या 161 दिनांक 1 अक्टूबर 2002

[17] अधिसूचना संख्या 168 दिनांक 29 मार्च, 2003

[18] अधिसूचना संख्या 169 दिनांक 31 मार्च, 2003

[[19] अधिसूचना संख्या 171 दिनांक 31 जुलाई, 2003

[20] अधिसूचना संख्या 176 दिनांक 19 सितंबर, 2003

[21] अधिसूचना संख्या 178 दिनांक 22 जून 2004

[22] अधिसूचना संख्या 180 दिनांक 25 सितंबर, 2004

****

अनुसूची बी

(कृपया निदेशों का पैरा 15 देखें)

रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र

	[कार्यालय का नाम और पता	क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाला प्रदेश
1.	अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, ला गज्जर चेम्बर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009	गुजरात राज्य और संघ दमन और दीव के क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली
2.	बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय, 10-3-8, नृपतुंगा रोड, बैंगलोर -560 002	कर्नाटक राज्य
3.	भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय, होशंगाबाद रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 32, भोपाल-462 011.	[मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य][31]
4.	भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पोस्ट बैग नंबर 16, भुवनेश्वर -751 001	उड़ीसा राज्य
5.	[31][कोलकाता] क्षेत्रीय कार्यालय, 15, नेताजी सुभाष रोड, [31] [कोलकाता] -700 001	सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश
6.	चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय, 11, सेंट्रल विस्टा, नया कार्यालय भवन सामने. टेलीफोन भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160 017	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़
7.	चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय, फोर्ट ग्लेशिस, राजाजी सलाई, चेन्नई-600 001.	तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी

[31] अधिसूचना सं. 149 दिनांक 27 जून, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित

8.	गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेशन रोड, पान बाजार, पोस्ट बॉक्स नंबर 120, गुवाहाटी -781 001	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य
9.	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, 6-1-56, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004	आंध्र प्रदेश राज्य
10.	जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय, राम बाग सर्किल, टोंक रोड, पी. बी. नंबर 12, जयपुर-302 004.	राजस्थान राज्य
11.	जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नंबर 1, जम्मू-180 012.	जम्मू और कश्मीर राज्य
12.	[31] [कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर - 208 001]	[31][उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य]
13.	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, चौथी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400 018	गोवा और महाराष्ट्र राज्य
14.	नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001	हरियाणा राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
15.	पटना क्षेत्रीय कार्यालय, गांधी मैदान के दक्षिण में पोस्ट बैग नंबर 162, पटना-800 001.	[31] [बिहार और झारखंड राज्य]
16.	तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम -695 033	केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश

अनुसूची सी

(कृपया निदेशों का पैरा 17 देखें)
भारतीय रिज़र्व बैंक
[पर्यवेक्षण] विभाग
[31] [कोलकाता] /[मुंबई] /बैंगलोर/नई दिल्ली

1. कंपनी का नाम
पता
i) पंजीकृत कार्यालय
ii) प्रशासनिक अधिकारी
iii) शाखा कार्यालय
2. निगमन की तिथि
3. निदेशक मंडल — आवासीय पते सहित
ए) निदेशकों का नाम
i)
ii)
iii)
बी) कंपनी के प्रमुख अधिकारियों का
पदनाम सहित नाम और आवासीय पता
4. निदेशक द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम
की अद्यतन प्रति
5.कंपनी द्वारा चलाई जाने वाली/किए जाने के लिए प्रस्तावित योजनाओं के प्रकारों का विवरण (जैसे प्रतिलाभ दर, जमा की अवधि)।
(पैम्फलेट, साहित्य संलग्न किया जाना चाहिए)
6. जारी करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप विज्ञापन की प्रति
7. पूंजी संरचना : — (राशि लाख रुपए में)
ए) अधिकृत
बी) जारी
ग) भुगतान किया गया

[तारीख : — प्रबंधक के हस्ताक्षर/
प्रबंध निदेशक/
प्राधिकृत अधिकारी

स्थानः — नामः
पदनामः

[अनुसूची "डी"

निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों की सूची

(कृपया 22 जून 2004 की अधिसूचना संख्या गैबैंपवि.178/सीजीएम(डीएसएन)-2004 के पैरा 2 की स्पष्टीकरण में मद (vii) देखें)

1. आईडीबीआई
2. आईएफसीआई लिमिटेड
3. आईआईबीआई लिमिटेड
4. टीएफसीआई लिमिटेड
5. आईडीएफसी लिमिटेड
6. एक्जिम बैंक
7. एनएचबी
8. सिडबी
9. नाबार्ड
10. पीएफसी लिमिटेड
11. आरईसी लिमिटेड
12. आईआरएफसी लिमिटेड
13. इरेडा लिमिटेड
14. नेडफी लिमिटेड
15. हुडको लिमिटेड
16. यूटीआई
17. एलआईसी
18. जीआईसी
19. एनआईसी
20. एनआईए
21. ओआईसी
22. यूआईआई]

[32]फॉर्म - एनबीएस 1ए

31 मार्च 20 को जमाराशियों पर वार्षिक विवरणी।
(सभी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

फाइल संख्या	
आईडी संख्या	
व्यवसाय की प्रकृति	
जिला कोड	
राज्य कोड	
(आरबीआई द्वारा भरा जाए)	

कंपनी का नाम: .....

विवरणी भरने के निदेश – सामान्य

यह विवरणी 15 मई 1987 की अधिसूचना सं.डीएफसी.55/डीजी(ओ)-87 के पैरा (14) के अंतर्गत आने वाली अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा संबंधित कंपनी के वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख का विचार किए बिना वर्ष में एक बार, 31 मार्च के बाद और 30 सितंबर तक, 31 मार्च को अपनी स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है को प्रस्तुत करेगी। कंपनी के लेखा परीक्षकों से एक प्रमाण पत्र इसके साथ प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। हालांकि, केवल भाग 3 के संबंध में, जानकारी नवीनतम बैलेंस शीट के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए, लेकिन विवरणी की तारीख से पहले।

एन.बी. अधिसूचना संख्या गैबैंपवि.135/सीजीएम\(वीएसएनएम)-2000, दिनांक 13-1-2000 के अनुसार, आरएनबीसी प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे जो 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाली इसके लेखा वर्ष से प्रभावी होगी। इसलिए 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष से, विवरणी के भाग 3 में जानकारी वर्तमान तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार होगी और इस प्रकार विवरणी की तारीख के साथ मेल खाएगी।

2. विवरणी को जमा करने में किसी भी कारण से देरी नहीं होनी चाहिए जैसे कि वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देना/पूरा करना। विवरणी का संकलन कंपनी के खाता-बहियों में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए और इसके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

विवरणी पर एक प्रबंधक (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि ऐसा कोई प्रबंधक नहीं है, तो प्रबंध निदेशक या कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत किया

[32] अधिसूचना सं. 143 दिनांक 30 जून 2000 द्वारा प्रतिस्थापित

गया है और जिसका नमूना हस्ताक्षर इस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। यदि नमूना हस्ताक्षर निर्धारित कार्ड में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवरणी पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और उसका नमूना हस्ताक्षर अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यदि विवरणी के किसी भाग/मद में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो " खातों की संख्या" के लिए बने स्तंभ में " कुछ नहीं" चिह्नित किया जाएगा और "राशि" के लिए बने स्तंभ में 00 इंगित किया जाएगा।

इस विवरणी में उल्लिखित 'सहायक कंपनियों' और 'समान समूह की कंपनियां' का वही अर्थ है जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 और धारा 372 (11) में क्रमशः दिया गया है, जैसा कि 31 अक्टूबर 1998 को कंपनी अधिनियम में संशोधन से पहले था।

यदि यह विवरणी निर्दिष्ट वेब सर्वर या एक फ्लॉपी डिस्केट (फ्लॉपी आकार 3.5") में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (इंटरनेट) के माध्यम से दाखिल की जा रही है; तो इसकी एक विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए।

<u>कंपनी प्रोफाइल</u>

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">कंपनी का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">पंजीकृत कार्यालय का पता</td><td colspan="4">पिन</td></tr>
<tr><td></td><td>फोन नंबर</td><td></td><td>फैक्स नंबर</td><td></td><td colspan="2">ई-मेल</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">उस राज्य का नाम जिसमें कंपनी पंजीकृत है</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">कॉर्पोरेट / प्रधान कार्यालय का पता</td><td>पिन</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td>फोन नंबर</td><td></td><td>फैक्स नंबर</td><td></td><td colspan="2">ई-मेल</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">निगमीकरण की तारीख</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">कारोबार शुरू करने की तारीख</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">नाम और आवासीय पता :
i) अध्यक्ष</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">ii) प्रबंध निदेशक/सीईओ</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="2">क्या यह एक सरकारी कंपनी है (कृपया सही का निशान लगाएं):</td><td></td><td>हां</td><td>नहीं</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="2">कंपनी की स्थिति (कृपया सही का निशान लगाएं):</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>i) पब्लिक लिमिटेड</td><td></td><td>ii) डीम्ड पब्लिक</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>(iii) प्राइवेट लिमिटेड</td><td></td><td>(iv) संयुक्त उद्यम</td><td></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="2">कंपनी का वित्तीय वर्ष</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="2">व्यवसाय की प्रकृति</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>12.</td><td colspan="2">आरबीआई के साथ पंजीकरण की स्थिति</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

	i) पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख यदि आरबीआई द्वारा जारी किया गया है	
	ii) यदि पंजीकृत नहीं है, तो बताएं कि क्या पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकृत / लंबित है	
13.	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या (कृपया नोट 1 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में उनके नामों और पतों की सूची संलग्न करें)	
14.	यदि एक सहायक कंपनी है, तो कृपया होल्डिंग कंपनी का नाम और पता बताएं	
15.	यदि कंपनी की सहायक / सहयोगी कंपनियां हैं , उनकी संख्या (कृपया नोट 2 के अनुसार नीचे दिए गए प्रारूप में नाम, पता , निदेशकों का नाम और उनकी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण सूची संलग्न करें)	
16.	यदि एक संयुक्त उद्यम है, तो प्रमोट करने वाली संस्था(ओं) का नाम और पता	
17.	कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम पता और फोन नंबर	
18.	कंपनी के बैंकरों के नाम, पता और फोन नंबर	

<u>नोट (1) : शाखाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप :</u>

क्र.सं	शाखा का नाम	उद्घाटन की तिथि	पता	शहर	जिला	राज्य	जनता की जमा राशि
	शाखाओं की कुल संख्या						सभी शाखाओं की कुल जनता की जमा राशि (राशि)
							दिनांक..... के तुलन-पत्र के अनुसार कुल जनता की जमा राशि (राशि)

<u>नोट (2): सहायक कंपनियों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप:</u>

क्र.सं	सहायक कंपनी का नाम	पता	निदेशकों का नाम	व्यावसायिक गतिविधि

भाग ---- 1
31 मार्च, 200.... को बकाया जमा राशियों का विवरण

(रुपए लाख में)

मद सं	विवरण	मद कोड	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (कृपया नोट 3 देंखें)
1	गैर-परिवर्तनीय और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड जारी करके प्राप्त धन (देंखे नोट 1 नीचे): (i) जमानती (ii) गैर-जमानती	 111 112		
2	से प्राप्त जमा: (i) शेयरधारक (ii) अन्य	 113 114		
3	कुल (111 से 114)	110		
4	जमा राशि परिपक्व हो गई लेकिन वापसी की तिथि के अनुसार दावा नहीं किया गया है	115		
5	जमा परिपक्व और अदावाकृत है और परिपक्वता के वर्ष सहित सात वर्षों से बकाया है	116		

<u>टिप्पणियाँ:</u>

(1) आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के मामले में, गैर-परिवर्तनीय हिस्से को इस मद के तहत शामिल किया जाना चाहिए और परिवर्तनीय हिस्से को भाग-2 के आइटम 4 के सामने दिखाया जाना चाहिए।

(2) भाग-1 में दिखाई गई राशि भाग-2 में नहीं दिखाई जानी चाहिए।

(3) मद 2 के सामने दिखाई गई राशि में उपार्जित या जमाकर्ताओं को देय ब्याज शामिल होना चाहिए।

(4) आइटम 5 के सामने दिखाई गई राशि में ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के साथ प्राप्त जमा की कुल राशि शामिल होनी चाहिए, जो जमाकर्ताओं को अर्जित या देय हो।

(5) उपरोक्त मद 2 में कुल जमाराशियों में से, जमाराशियां जो एकमुश्त और/या किसी योजना के तहत किस्तों में अंशदान के रूप में एकत्र की जाती हैं, निम्नलिखित ब्रेक-अप को योजनावार/अवधि-वार दिया जा सकता है।

भाग - 1 के आइटम 2 के तहत दर्शाई गई जमाराशियों का ब्रेक-अप

1. जमाराशियों का अवधिवार विवरण

प्रमाणपत्र की अवधि/मूल्यवर्ग	मद कोड	स्वीकार किए गए जमा / बेचे गए प्रमाण पत्र 15.5.1987 से पहले		भाग - बी स्वीकार किए गए जमा / बेचे गए प्रमाण पत्र 15.5.1987 से 11.4.1993 तक		भाग-ग 12.4.1993 को या उसके बाद स्वीकार की गई जमाराशियां /बेचे गए प्रमाणपत्र		कुल (ए+बी+सी)	
		बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल जमा राशि	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल जमा राशि	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल जमा राशि	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	कुल जमा राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(ए) 5 वर्षों तक i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000 vi) ऊपर 50,000	 141 142 143 144 145 146								
कुल	140								
(बी) 5 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000	 151 152 153 154 155 156								

vi) ऊपर 50,000									
कुल	150								
(सी) 7 वर्ष से अधिक i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000 vi) ऊपर 50,000	161 162 163 164 165 166								
<u>कुल</u>	**160**								
कुल योग (140 +150 +160)	**170**								

ii. ब्याज दर - जमाराशियों का विवरण

प्रमाणपत्र की अवधि /मूल्यवर्ग	मद कोड	ब्याज दर 4%	ब्याज दर 6%		ब्याज दर 8%	ब्याज दर 10%	ब्याज दर 10% से अधिक	कुल
			30 जून, 2000 से पहले स्वीकृत	30 जून 2000 के बाद स्वीकृत				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<u>(ए) 5 वर्षों तक</u> i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000	141 ए 142 ए 143 ए 144 ए							

v) 25,001 - 50,000 vi) ऊपर 50,000	145 ए 146 ए							
कुल	140 ए							
(बी) 5 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000 vi) ऊपर 50,000	151 ए 152 ए 153 ए 154 ए 155 ए 156 ए							
कुल	150 ए							
(सी) 7 वर्ष से अधिक i) तक 5,000 ii) 5,001 - 10,000 iii) 10,001 - 15,000 iv)15,001 - 25,000 v) 25,001 - 50,000 vi) ऊपर 50,000	161 ए 162 ए 163 ए 164 ए 165 ए 166 ए							

कुल	160 ए							
कुल योग (140 ए+150ए +160 ए)	170 ए							

टिप्पणियाँ:

1. कॉलम 4, 6, 8 और 10 के तहत दिखाई गई राशि को जारी किए गए प्रमाणपत्रों/स्वीकार की गई जमाराशियों के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और इसमें जमाकर्ताओं को उपार्जित या देय ब्याज , बोनस, प्रीमियम और अन्य लाभ शामिल नहीं होना चाहिए।
2. जारी किए गए प्रमाणपत्रों/स्वीकृत जमाओं का अवधि-वार वर्गीकरण उन अवधियों के अनुसार किया जाना चाहिए जो उन्हें मूल रूप से जारी/स्वीकार/नवीनीकृत किया गया, न कि 31 मार्च यानी इस विवरणी की तारीख से।
3. बचत योजनाओं के प्रकार, अंकित मूल्य, अवधि, देय किश्तों की संख्या और राशि का संक्षिप्त विवरण और ब्याज, प्रीमियम, बोनस या अन्य लाभ के रूप में देय राशि, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, को अनुबंध के रूप में दिया जाए।

भाग I के मद 2 में दिखाए गए जमा के संबंध में चूक का विवरण

विवरण	मद कोड	बकाया प्रमाणपत्रों की संख्या	अंकित मूल्य	कॉलम (3) के संबंध में 31.3.20..... को जमा की कुल राशि
A. कुल जमा राशि का i) जो परिपक्व हो गए हैं/देय हो गए हैं लेकिन दावा नहीं किया	181			
ii) वे जो देय/अभ्यार्पित/दावा किए गए हैं लेकिन भुगतान नहीं किए गए हैं:				
ए) वर्ष की शुरुआत में बकाया राशि	182			
बी) उपरोक्त (ए) में से, वर्ष के दौरान चुकाया गया	183			
सी) वर्ष के दौरान परिपक्व/समर्पण/दावा किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया अर्थात वर्ष के दौरान वृद्धि	184			
डी) वर्ष के अंत में बकाया	185			
ई) उपरोक्त (डी) में से, जो मुकदमेबाजी में शामिल हैं।	186			
बी. कुल जमा से i) वर्ष के दौरान बेचे गए/जारी किए गए प्रमाणपत्र	187			
ii) वर्ष के दौरान नवीनीकृत/पुनर्जीवित प्रमाणपत्र	188			

टिप्पणी:

प्रत्येक जमा राशि का भुगतान न करने के कारण और चुकौती के लिए उठाए गए कदमों को एक अनुलग्नक में दर्शाया जाना चाहिए।

भाग 2

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45I (बीबी) के अनुसार जमा के रूप में नहीं गिने जाने वाले छूट प्राप्त उधारों का विवरण

मद सं	विवरण	मद कोड	खातों की संख्या	राशि
1	बैंकों और अन्य निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से उधार	201		
2	कंपनी के कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त राशि	202		
3	कंपनी के व्यवसाय के दौरान खरीद, बिक्री या अन्य एजेंटों से प्रतिभूति या अग्रिम के रूप में प्राप्त धन या वस्तुओं की आपूर्ति का आदेश या संपत्तियों या सेवाएं प्रदान करने के बदले प्राप्त अग्रिम	203		
4	परिवर्तनीय डिबेंचर / बांड जारी करने से प्राप्त धन (भाग-1 की मद संख्या 1 भी देखें)	204		
5	किसी शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर/बांड जिसका आवंटन लंबित है की सदस्यता के माध्यम से प्राप्त धन या संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार शेयरों पर अग्रिम रूप से मांग के माध्यम से प्राप्त धन जब तक इस तरह की राशि संस्था के अंतर्नियमों के तहत शेयरधारकों को चुकाने योग्य नहीं है	205		
6	कुल (201 से 205)	200		

भाग - 3
निवल स्वाधिकृत निधि

[विवरणी की तारीख से पहले के नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं या विवरणी की तारीख को तुलन पत्र के अनुसार]

[दिनांक..... को तुलन पत्र]

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	**पूंजीगत निधि** **i) चुकता इक्विटी पूंजी**	311	
	ii) निर्बंध आरक्षित निधि	312	
2	**कुल (311 + 312) - ए**	310	
3	(i) संचित हानि शेष	321	
	(ii) आस्थगित राजस्व व्यय का शेष	322	
	(iii) अन्य अमूर्त संपत्तियां (कृपया निर्दिष्ट करें)	323	
4	**कुल (321 से 323) - बी**	**320**	
5	**स्वधिकृत निधि अर्थात सी = (310-320) अर्थात (ए-बी)**	**330**	
6	के शेयरों में निवेश का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की सहायक कंपनियां	341	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ	342	
	(iii) अन्य सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (अनुबंध संख्या..... में विवरण)	343	
7	के डिबेंचर और बॉन्ड का बही मूल्य		
	(i) कंपनी की सहायक कंपनियां	344	

	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध संख्या.... में विवरण)	345	
8.	**बकाया ऋण और अग्रिम (अंतर-कॉर्पोरेट जमा, किराया खरीद और पट्टा वित्त ** सहित) और के साथ जमा**		
	i) कंपनी की सहायक कंपनियां	346	
	(ii) एक ही समूह की कंपनियाँ (अनुबंध संख्या.... में विवरण)	347	
9.	341 से 347 का योग = डी	340	
10.	340 की राशि 330 के 10% से अधिक = ई	350	
11.	निवल स्वाधिकृत निधि (330 - 350) अर्थात एफ = (सी - ई)	300	

टिप्पणियाँ:

*** भाग 3 के मद 1 के तहत उल्लिखित "निर्बंध आरक्षित निधियां" में शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि, पूंजी और डिबेंचर मोचन आरक्षित निधियां और अन्य आरक्षित निधियां जिसे तुलन पत्र में दिखाया या प्रकाशित किया गया है और मुनाफे के आवंटन (लाभ और हानि खाते के जमा शेष सहित) के माध्यम से बनाया गया है लेकिन जो निम्न में से नहीं है**

(i) भविष्य की किसी देनदारी के पुनर्भुगतान के लिए या संपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए या गैर-निष्पादित संपत्तियों/अशोध्य ऋणों के विरुद्ध प्रावधान के लिए सृजित आरक्षित निधि; या

ii) कंपनी की परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षित निधि।

**** 'किराया खरीद' एक्सपोजर का मतलब है अपरिपक्व वित्त शुल्क को घटाकर किराये पर लिया गया माल। पट्टा वित्त' का अर्थ पट्टे पर संपत्ति का अवलेखित मूल्य +/- पट्टा समायोजन खाता होगा**

भाग – 4

30 सितंबर और 31 मार्च से पहले जमाकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित विवरण, 20...., इस विवरणी की तारीख

नामित बैंक और शाखा का नाम ---------- ----------

मद सं	विवरण	मद कोड	निदेशों के प्रारम्भ होने से पहले अर्थात 15 मई 1987 से पहले		निदेशों के प्रारम्भ होने के बाद अर्थात 15 मई 1987 को और उसके बाद	
			30.9.20...	31.3.20...	30.9.20...	31.3.20...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जमा की कुल राशि (कृपया देखें नोट 1)	400				
2	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईबी के संदर्भ में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	410				
3	जमाराशि की सुरक्षा (किसी भी प्रभार या ग्रहणाधिकार से मुक्त)					
	(ए) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के साथ सावधि जमा और उनके द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र	411				
	(बी) उपरोक्त 2 में रिपोर्ट की गई प्रतिभूतियों के अलावा केंद्र और/या राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अन्य में निवेश (बाजार मूल्य पर)	412				
	(सी).. के डिबेंचर/बांड/वाणिज्यिक पत्र जिसकी रेटिंग AA+ या इसके समकक्ष से कम न हो में निवेश (बाजार मूल्य पर)					
	(i) एक ही समूह/सहायक कंपनियों की कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां	413				
	(ii) सरकारी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या केंद्रीय या राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापित या गठित कोई निगम	414				
	(डी) ... की इकाइयों में निवेश (बाजार मूल्य पर)					
	(i)यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	415				
	(ii) सेबी द्वारा अनुमोदित अन्य म्युचुअल फंड (म्यूचुअल फंड-वार ब्रेक अप के साथ)	416				

टिप्पणियाँ:

1. ' जमा की कुल राशि' का अर्थ जमाकर्ताओं को उपार्जित या देय ब्याज, बोनस, प्रीमियम या अन्य लाभ के साथ प्राप्त जमा राशि से है। इस भाग की मद 1 के सामने स्तंभ 5 और 7 के अंतर्गत राशियों का कुल योग भाग-1 की मद 2 के अनुरूप होना चाहिए।

2. यदि अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी(ओ)-87 दिनांक 15.5.1987 के पैरा 6(ए) और (बी) में उपरोक्त आइटम 3(ए) और 3(बी) के विरुद्ध निवेश निर्धारित न्यूनतम से कम था तो कंपनी एक संलग्न पत्र में इसके कारणों की व्याख्या करेगी।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 6(3) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम जिसको उपरोक्त प्रतिभूतियां सौंपी गई हैं, का उल्लेख किया जाए। यदि ऐसे किसी बैंक को प्रतिभूतियां नहीं सौंपी गई हैं, तो इसके कारणों का उल्लेख संलग्न पत्र में किया जाना चाहिए।

4. कृपया ऊपर मद 2 और 3 के सामने उल्लिखित सावधि जमा/प्रतिभूतियों का पूरा विवरण दें, उनके बही मूल्य और बाजार मूल्य (प्रतिभूतियों के मामले में) को एक अनुलग्नक (अनुबंध संख्या) में इंगित करें।

भाग – 5

बही मूल्य पर निवेश दर्शाने वाला विवरण
(भाग-3 के आइटम 6 और 7 में उल्लिखित के अलावा)

मद सं.	विवरण	मद कोड	राशि
1	कंपनियों के शेयरों और उनके द्वारा जारी किए गए डिबेंचर/बांड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश और फर्मों और मालिकाना प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशक पर्याप्त हित रखते हैं की पूंजी में योगदान । (कृपया नोट 1 देखें) (अनुबंध संख्या .....में विवरण)	511	
2	अन्य कंपनियों के शेयर, डिबेंचर/बांड और वाणिज्यिक पत्र	512	
3	अन्य निवेश:		
	(i) बैंकों के पास सावधि जमा/बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र (भाग-4 में शामिल बैंकों को छोड़कर)	513	
	(ii) बैंक(बैंकों) के साथ किसी अन्य जमा खाते में शेष राशि	514	
	(iii) अन्य (कृपया बही मूल्य और बाजार मूल्य को दर्शाने वाली सूची प्रस्तुत करें)	515	
4	कुल (513 से 515)	520	
5	कुल योग (511 + 512 +520)	**500**	

टिप्पणियाँ:
1. 'पर्याप्त हित' का अर्थ है किसी कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे, चाहे अकेले या एक साथ लिया गया हो, द्वारा लाभकारी हित धारण करना, जिस पर भुगतान की गई राशि कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत या किसी साझेदारी फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी से अधिक हो।
2. निवेश खाते में या स्टॉक-इन-ट्रेड के माध्यम से धारण किए गए शेयरों, डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों का विवरण इस भाग में शामिल किया जाना चाहिए।
3. कंपनियों के सावधि जमा को यहां शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भाग 3 और 6 में दिखाया जाना चाहिए।

भाग - 6

बकाया ऋण एक्सपोजर जैसे ऋण और अग्रिम, किराया-खरीद और उपकरण पट्टे पर देना, बिल भुनाना, अंतर-कॉर्पोरेट जमा (भाग - 3 की मद 8 में उल्लिखित के अलावा) दर्शाने वाला विवरण,

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1.	कंपनियां, फर्में और मालिकाना प्रतिष्ठान जहां कंपनी के निदेशकों का पर्याप्त हित है (कृपया भाग-5 का नोट 1 देखें)। (अनुबंध संख्या .....में विवरण)	601	
2.	अन्यः		
	(i) कंपनियां जो समान समूह की न हो	611	
	(ii) निदेशक	612	
	(iii) शेयरधारक	613	
	(iv) मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	614	
	(v) खरीद, बिक्री और अन्य एजेंट	615	
	(vi) जमाकर्ता	616	
	(vii) अन्य	617	
3.	कुल (611 से 617)	620	
4.	कुल योग (601 + 620)	600	

टिप्पणी :

विविध देनदार, अग्रिम भुगतान किया गया कर और अन्य वसूली योग्य मदें जो ऋण और अग्रिम की प्रकृति में नहीं हैं, उन्हें इस विवरण में नहीं दिखाया जाना चाहिए।

भाग – 7

31 मार्च, 20..... को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यावसायिक आंकड़े/जानकारी

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	संवितरण (निधि आधारित गतिविधियां): 1 उपकरण पट्टे पर देना:		
	(ए) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	701	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	702	
	किराया खरीद		
	(ए) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	703	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	704	
	ऋण (ए) कंपनियों को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	705	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	706	
	(बी) व्यक्तियों को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	707	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	708	
	(सी) दलालों को शेयरों के बदले ऋण:		
	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	709	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	710	
	(डी) प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के वित्तपोषण के लिए ऋण:		

	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	711	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	712	
	(ई) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण / जमा:		
	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	713	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	714	
	(एफ) अन्य	715	
4	खरीदे/भुनाए गए बिल		
	(i) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	716	
	(ii) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	717	
5.	उपरोक्त 4 में से, बिलों की पुनर्भुनाई की गई		
	(ए) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	718	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल संवितरण	719	
6.	**ii. शेयरों/प्रतिभूतियों (एसएलआर के अलावा अन्य उद्धृत) में व्यापार**		
	शेयरों/डिबेंचरों/वाणिज्यिक पत्रों की खरीद/बिक्री:		
	(ए) खरीद	720	
	(बी) बिक्री	721	
7.	**iiii. शुल्क आधारित गतिविधियाँ** पूंजी बाजार परिचालनों के लिए जारी गारंटियां:		
	(ए) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	722	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	723	
8.	अन्य उद्देश्यों के लिए जारी की गई गारंटी		
	(ए) विवरणी की तिथि के अनुसार बकाया शेष	724	
	(बी) वर्ष के दौरान कुल मात्रा	725	
9.	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड पट्टा/किराया खरीद	726	
10.	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड ऋण/आईसीडी	727	
11.	वर्ष के दौरान सिंडिकेटेड बिल	728	
12.	**हामीदारी**		
	ए) हामीदारी की कुल राशि	729	
	(बी) हस्तांतरित राशि	730	
	(सी) बकाया प्रतिबद्धताएं	731	

भाग - 8

बकाया की स्थिति

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	12 माह से अधिक समय से बकाया पट्टा	801	
2	12 महीने तक का बकाया पट्टा	802	
3	12 महीने से अधिक समय से बकाया किराया खरीद	803	
4	12 महीने तक का बकाया किराया खरीद	804	
5	6 महीने से अधिक का अन्य अतिदेय	805	
6	6 महीने तक का अन्य अतिदेय	806	
7	**कुल (801 से 806)**	**810**	

भाग - 9

चयनित आय और व्यय मानदण्ड का विवरण
(कृपया नीचे दिए गए निदेश देखें)

मद सं	विवरण	मद कोड	राशि
1	निधि आधारित आय : 1 सकल पट्टा आय, यदि कोई हो	901	
2.	घटाएं: पट्टे पर आस्तियों पर मूल्यह्रास + / - पट्टा समानता	902	
3.	निवल पट्टा आय (901-902)	903	
4.	किराया खरीद आय, यदि कोई हो	904	
5.	बिल भुनाई आय	905	
6.	निवेश आय		
	(ए) सावधि जमा / जमा प्रमाणपत्र से	906	
	(बी) सरकार / अनुमोदित प्रतिभूतियों से	907	
	(सी) अन्य निवेशों पर लाभांश/ब्याज	908	
	(डी) शेयरों की बिक्री पर लाभ/हानि (+/-) / डिबेंचर / वाणिज्यिक पत्र	909	
7.	ब्याज आय		
	(ए) अंतर-कॉर्पोरेट जमा / ऋण	910	
	(बी) अन्य ऋण और अग्रिम	911	
	(सी) ब्रोशर जारी करने, आवेदन पत्र और जमाकर्ता के खाते की सर्विसिंग के लिए नए जमाकर्ता / ग्राहक से एकबारगी प्रभार	912	
	(डी) बिल भुनाई आय (पुनर्भुनाई प्रभार का शुद्ध)	913	
8.	अन्य निधि आधारित आय (कृपया निर्दिष्ट करें)	914	
9.	कुल निधि आधारित आय **(903 से 914)**	**920**	
10.	**शुल्क आधारित आय** व्यापारी बैंकिंग गतिविधियों से आय	921	
11.	हामीदारी आयोग	922	
12.	बिल, ऋण, आईसीडी, पट्टा और किराया खरीद के सिंडीकेशन से आय	923	
13.	विविध आय	924	
14.	**कुल शुल्क आधारित आय (921 से 924)**	**930**	
15.	**कुल आय (920+930)**	**940**	
16.	**ब्याज और अन्य वित्तपोषण लागत** सावधि जमा पर दिया जाने वाला ब्याज	941	
17	आईसीडी पर ब्याज का भुगतान	942	
18.	दलाली / एजेंटों का कमीशन	943	
19.	दलालों/एजेंटों को व्यय की प्रतिपूर्ति	944	
20.	अन्य वित्तपोषण लागत	945	
21	बिल पुनर्भुनाई प्रभार	946	
22	**कुल वित्तपोषण लागत (941 से 946)**	**950**	
23.	**परिचालन व्यय** कर्मचारी लागत	951	
24	अन्य प्रशासनिक लागत	952	
25	**कुल परिचालन लागत (951+952)**	**955**	
26.	निजी आस्तियों पर मूल्यह्रास	956	

27.	अमूर्त संपत्ति परिशोधित	957	
28.	निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	958	
29.	अनर्जक आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	959	
30.	अन्य प्रावधान यदि कोई हो	960	
31.	**कुल व्यय (950 + 955 + 956 से 960)**	**970**	
32	**कर पूर्व लाभ (940 – 970)**	**980**	
33.	**कर**	**990**	
34.	**कर के बाद लाभ (980 – 990)**	**900**	

<u>निदेश :</u>

(1) इस भाग में विवरण पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होना चाहिए। यदि कंपनी 31 मार्च के अलावा किसी अन्य तिथि को अपनी बही बंद करती है, तो बहियों के बंद होने की तिथि और अवधि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

(2) "सकल पट्टा आय" में पट्टा किराया (रिबेट को घटाकर), पट्टा प्रबंधन शुल्क, पट्टा सेवा प्रभार, अग्रिम शुल्क, पट्टे पर दी गई संपत्ति की बिक्री पर लाभ और पट्टा व्यवसाय से संबंधित विलंबित/देरी से भुगतान का शुल्क (प्रवेश किए गए /अंतिम रूप दिए गए पट्टा करारों के संबंध में परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान पर ब्याज/मुआवजा शुल्क सहित) शामिल हैं)।

(3) ' पट्टा संतुलन खाता' का वही अर्थ है जो आईसीएआई द्वारा जारी पट्टा के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट (संशोधित) में है।

(4) 'किराया खरीद आय' में वित्त प्रभार (रिबेट को घटाकर), किराया सेवा शुल्क, विलंबित / देरी से भुगतान का शुल्क, अग्रिम शुल्क और किराया खरीद व्यवसाय से संबंधित अन्य आय (चिह्नित किराएदारों के लिए किराया खरीद आस्तियों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज सहित) शामिल हैं।

<u>प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1987 (समय-समय पर संशोधित) में निहित निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस विवरणी में दिए गए विवरण/जानकारी का सत्यापन कर लिया गया है और इसे हर तरह से सही और पूर्ण पाया गया है।

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/के हस्ताक्षर
अधिकृत अधिकारी

दिनांकः

स्थानः

<u>लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट</u>

हमने ----------कंपनी लिमिटेड द्वारा इस विवरणी में प्रस्तुत डेटा के संबंध में अनुरक्षित लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड द्वारा दिखाए गए अनुसार, इस विवरणी में प्रस्तुत डेटा सही हैं।

स्थानः हस्ताक्षर

दिनांक:

सनदी लेखाकारों के नाम

विवरणी के लिए संलग्नक:

1. यदि वे पहले से नहीं भेजे गए हैं तो विवरणी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए। कृपया संलग्न दस्तावेजों के लिए मद के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएं और अन्य मामलों में जमा करने की तारीख बताएं।

   (i) लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ और हानि खाते की एक प्रति जो विवरणी की तारीख के करीब है।
   (ii) नमूना हस्ताक्षर कार्ड।
   (iii) अधिसूचना सं. डीएफसी.55/डीजी(ओ)-87 दिनांक 15 मई, 1987 के पैरा 8 में संदर्भित आवेदन प्रपत्र की एक प्रति।
2. प्रधान अधिकारियों की सूची तथा निदेशकों के नाम और पते संलग्न प्रपत्र में इस विवरणी के साथ भेजे जाएंगे।

भाग – 10

_____ लिमिटेड के प्रमुख अधिकारियों और निदेशकों की सूची।

I. प्रधान अधिकारी

क्र.सं	नाम	पदनाम	पता और टेलीफोन नंबर	यदि किसी कंपनी/कंपनियों में निदेशक हैं, तो उस कंपनी/कंपनियों के नाम

ii. निदेशक

क्र.सं	नाम	पता	निदेशक उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चे द्वारा कंपनी के धारित इक्विटी शेयरों का %,	अन्य कंपनियों के नाम जहां वह निदेशक है

प्रबंधक/प्रबंध निदेशक/ अधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :

स्थानः

दिनांकः